

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-10
देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2018
अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उप-धारा (1) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्—


उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

(राधा रत्नाली)
प्रमुख सचिव

सं0287/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/ CTR-10 तददिनांक।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4—अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-दण्डित्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,


(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

11906
28/03/2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 979/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-10 dated 28 March, 2018 for general information.

**Government of Uttarakhand
Finance Section-8**
No. 979/2018/4(120)/ XXVII(8)/2018/CTR-10
Dehradun :: Dated:: 28 March, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 01 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No. 522/2017/9 (120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 amended vide notification No. 979/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 2018”, the figures, letters and words “30th day of June, 2018” shall be substituted.


(Radha Raturi)
Principal Secretary